8-11-16 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थिया उपस्थित। विपक्षीगण के समन बाद तामील प्राप्त हुये। जिन्हे शामिल पत्रावली किये गये। विपक्षीगण उपस्थित नहीं। विपक्षीगण को विधिवत ही सर्वथा विधिवत नोटिस तामील होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश किया जाता है, वकील प्रार्थिया ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थिया की एक तरफा बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वकील प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों, दस्तावेजों के आधार पर स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया, तथा एक तरफा बहस पर मनन किया गया। न्याय हित में प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पूर्व दिनांक 5-10-15 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा विपक्षीगण के विरुद्ध मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म की जाती है। पत्रावली को कम शुमार की जाकर मूल वाद के ~~[illegible]~~ साथ शामिल की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा